(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 704/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2016 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 154/अपील/2014-15.

बाबू सिंह आत्मज स्व. श्री दिलीप सिंह
निवासी ग्राम पापड़ा, तह. बेगमगंज,
जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/4/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, बेगमगंज के समक्ष पटवारी मौजा पापड़ा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पापड़ा स्थित भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 114.200 हैक्टेयर शासकीय अभिलेख में सीलिंग भूमि के रूप में इन्द्राज है, जिसमें से किता 13 रकबा 80.086 हैक्टेयर भूमि पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर फसल बो रखी है। पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 04/अ-68/14-15 दर्ज कर आदेश दिनांक 28.02.2015 के द्वारा आवेदक के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिये गये। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत की गई, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.07.2015 को

आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.01.2016 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आयुक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि भूमि से संबंधित वाद व्यवहार न्यायालय में प्रचलित है। व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होता है। ऐसी दशा में आलोच्य आदेश के द्वारा आवेदक के विरूद्ध पारित बेदखली आदेश की पुष्टि कर गंभीर वैधानिक भूल करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आयुक्त ने अपेन आदेश में यह उल्लेख किया है कि "जहां तक अपीलार्थी को सीलिंग भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने का प्रश्न है, वह एक पृथक कार्यवाही है।" आयुक्त न्यायालय संभाग का वरिष्ठ न्यायालय है, जब उनके संज्ञान में यह बात आ गई है कि आवेदक को सीलिंग भूमि का मुआवजा दिये जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए था। ऐसी दशा में पारित आलोच्य आदेश विधि विपरीत है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आयुक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि "शासकीय भूमि की देखरेख की व्यवस्था मैदानी राजस्व कर्मचारी/अधिकारी को भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रदत्त है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248(1) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02.2015 विधिसम्यक है", किंतु आयुक्त ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विचारण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को बचाव एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। तहसील न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। तहसील न्यायालय का आदेश मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आधारित है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में पारित आलोच्य आदेश विधि विपरीत है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर विभिन्न व्यक्तियों को कोली पर दी गई है, जबकि शासकीय अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि सीलिंग के रूप में दर्ज है। जहां तक आवेदक को सीलिंग भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने का प्रश्न है, वह एक पृथक कार्यवाही है, जिसके संबंध में आवेदक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना आवेदन पत्र मुआवजा के संबंध में प्रस्तुत कर सकता है। इन तथ्यों के आधार पर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं कि वह प्रश्नाधीन भूमि पर अपना अतिक्रमण करे। ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा भी की गई है। अत: विचारण न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर